न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—**राकेश कुमार मीना आर.ए.एस**,उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ

अनुवान

केवल सिह वगैरा **बनाम** **वकील सिह वगैरा**

राजस्व वाद : खाता तकसीम

नम्बर मुकदमा – **37 / 2021** **निर्णय दिनांकः–** 18.07.2024

1 केवल सिह | पि. साधू सिह | जाति जटसिख सा. सन्तपुरा तह. संगरिया
2 हरजीत सिह |

—वादी

बनाम

1. वकील सिह पुत्र नाहर सिह | जाति जटसिख सा. सन्तपुरा तह. संगरिया
2 मनजीत कौर | पुत्रीयां नाहर सिह
3 कुलविन्द्र कौर |
4 मलकीत कौर |
5 सुखजीत कौर पत्नी टेक सिह
6 हरप्रीत कौर | पुत्रीयां टेक सिह
7 गुरप्रीत कौर |
8 प्रविन्द्र सिह पुत्र टेक सिह
9 शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा कोर्ट रोड वार्ड न. 6 संगरिया तह. संगरिया
10 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया
11 अमरजीत कौर पुत्री नाहर सिह जाति जटसिख सा. सन्तपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

—प्रतिवादीगण

<u>उपस्थित</u>

1 श्री नक्षत्र सिह सिद्दू —अधिवक्ता वादि.
2 श्री चरणजीत सिह सिद्दू – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 8 व 11

निर्णय

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमं का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण के नाम चक 3 ए.एम.पी. खाता स. 184 / 82 खाता वकील सिह वगैरा ज.स. 2072–75 में साझा खाता में कुल 0.759 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादीगण ने प्रति स. 1 ता 8 के साथ अच्छी में से अच्छी तथा मंदी में से मंदी के मुता[illegible] विभा[illegible] है। मुताबिक घरू विभाजन प्राप्त आराजी का वादी निम्नानुसार [illegible] अलग कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार हैः–

<u>वादी स. 1 व 2 केवल सिह– हरजीत सिह पि. साधू सिह का हिस्सा:–</u>

<u>चक3 ए.एम.पी.. खाता स. 184 / 82</u>

163 / 139	73	7–8 / .253प्र.	= 0.506 है0
164 / 139	74	11 / .253	= 0.253 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:06 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

(31)

वादी दावा की दफा 3 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है लेकिन उक्त आराजी साझा खाता मे दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिये वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादी का खाता दावा की दफा 3 के मुताबिक अलग कायम करवा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवा रकम राज अलग कायम करवा लेवे लेकिन पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन अन्त मे पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। यही विनाय दावा है। वादीगण का खाता दावा की दफा 3 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये।प्रति स. 1 ता 8 व 11 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 9 की तलबी होने पर इनके हाजिर अदालत नही आने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रति स. 10 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल है। प्रशनगत भुमि के संबंध में तहसीलदार राजस्व संगरिया से कब्जाकाश्त की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्र कमांकः– प्रा.डिकी. / भु.अ. / 024 / 1002 दिनांक 01–04–2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील उभय पक्ष ने वाद पत्र में प्रस्तुत जवाब दावा के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है।प्रति स. 1 ता 8 व 11 ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश है। वादीगण व प्रतिवादीगण के वाद पत्र का कोई विरोध नही होने के कारण तनकीयात कायम नही की गई। प्रकरण में कोई विवाद नही है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र मुताबिक तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त कब्जा काश्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक 3 ए.एम.पी. खाता स. 184 / 82 खाता वकील सिह वगैरा ज.स. 2072–75 में साझा खाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 3 ए.एम.पी. खाता स. 184 / 82 खाता वकील सिह वगैरा ज.स. 2072–75 एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया की रिपोर्ट के अवलोकन से साबित है कि वादीगण एव प्रतिवादीगण सह काश्तकार है। प्रशनगत आराजी पर पक्षकारो का अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक [illegible] वर्तमान में भी कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद सामने नही [illegible] पत्र में कोई विरोध सामने नही आया है। तहसीलदार राजस्व संगरिया [illegible] रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित [illegible] किया जाना उचित प्रतीत होता है।

कियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिकी किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(57)

चक 3 ए.एम.पी. में मौके पर कब्जाकाश्त की भुमिः–
हरजीत सिह, केवल सिह पि. साधू सिह जाति जटसिख सा. सन्तपुरा ब.हि.ब.
1
163 / 139 73 7 / .253 8 / .253
164 / 139 74 11 / .253 कुल रकबा 0.759 है0
2 वकील सिह पुत्र नाहर सिह, प्रविन्द्र सिह पुत्र टेक सिह जाति जटसिख सा. सन्तपुरा ब.हि.ब.

163 / 139 73 13–14–17–18–19–22–23–24 / .253प्र 15 / 1 / .228
16 / 1 / .228
163 / 140 85 1 / 1 / .228 1 / 2 / .025 गै.मु.खाला 2 / 1 / .228
2 / 2 / .025 गै.मु. खाला 3 / 2 / .228 3 / 2 / .025 गै.मु. खाला
164 / 139 74 17–18–19–20 / .253प्र
कुल रकबा 4.251 है0 नहरी मय गै.मु.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भु.अ. संगरिया के पत्र कमांकः– प्रा.डिकी./ भु.अ./024/1002 दिनांक 01–04–2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिकी का आवश्यक भाग रहेगा।खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोटः–यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्यं पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......X........ मुब्लिक.........X........ बाबत.........X........खर्चा मुकदमें के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ......X........ को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक..18.07.2024 को जारी की गई।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:06 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(ओ 20 रूल 6–7जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर संगरिया

पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

राजस्व वाद : खाता विभाजन

1 केवल सिह | पि. साधू सिह | जाति जटसिख सा. सन्तपुरा तह. संगरिया

2 हरजीत सिह

–वादीगण

बनाम

1. वकील सिह पुत्र नाहर सिह | जाति जटसिख सा. सन्तपुरा तह. संगरिया
2 मनजीत कौर | पुत्रीयां नाहर सिह
3 कुलविन्द्र कौर
4 मलकीत कौर
5 सुखजीत कौर पत्नी टेक सिह
6 हरप्रीत कौर | पुत्रीयां टेक सिह
7 गुरप्रीत कौर
8 प्रविन्द्र सिह पुत्र टेक सिह
9 शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा कोर्ट रोड वार्ड न. 6 संगरिया तह. संगरिया
10 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया
11 अमरजीत कौर पुत्री नाहर सिह जाति जटसिख सा. सन्तपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

–प्रतिवादीगण

मु.स 37 / 2021 , दावा अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू वादीगण की ओर से श्री नक्षत्र सिह सिद्दू एड. व प्रतिस. 1 ता 8 व 11 की ओर से श्री चरणजीत सिह सिद्दू एड. .दिया जाता है कि वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा वादीगण व उक्त प्रतिवादीगण का निम्नानुसार खाता अलग कायम किया जावे :– .

चक 3 ए.एम.पी. में मौके पर कब्जाकाश्त की भुमि:–

1 हरजीत सिह, केवल सिह पि. साधू सिह जाति जटसिख सा. सन्तपुरा ब.हि.ब.

163 / 139 73 7 / .253 8 / .253

164 / 139 74 11 / .253 कुल रकबा 0.759 है0

2 वकील सिह पुत्र नाहर सिह, प्रविन्द्र सिह पुत्र टेक सिह जाति जटसिख सा. सन्तपुरा ब.हि.ब.

163 / 139 73 13–14–17–18–19–22–2[illegible] / .253प्र [illegible] / 1 / [illegible]3

16 / 1 / .228 [illegible] गै.मु.खाला [illegible]

163 / 140 85 1 / 1 / .228 1 / 2 / .02[illegible] [illegible]5 गै.मु.

2 / 2 / .025 गै.मु. खाला 3 / 2 / .228 3 / 2 [illegible]

खाला

164 / 139 74 17–18–19–20 / .253प्र

कुल रकबा 4.251 है0 नहरी मय गै.मु.

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kum Meena

Date: 2024.08.08 10:34:06 IST

Reason: SelfAttested

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भु.अ. संगरिया के पत्र कमांकः– प्रा.डिकी. / भु.अ. / 024 / 1002 दिनांक 01–04–2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिकी का आवश्यक भाग रहेगा।खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोटः–यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिकीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.......X....... मुब्लिक.......X....... बाबत.......X.......खर्चा मुकदमें के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....X....... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 18.07.2024 को जारी की गई।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:06 IST
Reason: SelfAttested